



सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु

सिद्धार्थनगर-272202 उ०प्र०(भास्ती)

Email Id: registrar@suksn.edu.in, Website : www.suksn.edu.in

पत्रांक-1040 / कु०स०का० / सि०वि०वि० / 2025

दिनांक-22-11-2025

सेवामें,

1. अधिष्ठाता, समस्त संकाय
2. प्राचार्य/प्रचार्या, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

विषय :- अपर मुख्य सचिव, महिला कल्याण विभाग उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में सम्बन्धित विभागों तथा यूनिसेफ के साथ सम्पन्न बैठक दिनांक 03-11-2025 का कार्यवृत्त के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (उच्च शिक्षा) उ०प्र०, शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, प्रयागराज के पत्रांक- डिग्री विकास/2215/2025-26 दिनांक 18-11-2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासन के पत्र संख्या-968/सत्तर-1-2025 दिनांक 13 नवम्बर, 2025 के क्रम में बैठक दिनांक 03-11-2025 का कार्यवृत्त के गतिविधि बिन्दु-4 में विभाग से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निम्न कार्यवाही किया जाने की अपेक्षा की गयी है। (छाया प्रति संलग्न)

अतः उपरोक्त के क्रम में संलग्न पत्र के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी सूचित करना सुनिश्चित करें, जिससे कृत कार्यवाही की सूचना शासन को ससमय ई-मेल आईडी0 dhedegreevikas@gmail.com पर प्रेषित किया जा सकें।

संलग्नक- यथोपरि।

कुलसचिव

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक- / तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक (उच्च शिक्षा) उ०प्र०, शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, कुलपति को मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
4. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

कुलसचिव

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

प्रेषक,

निदेशक (उच्च शिक्षा), उ० प्र०,
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
प्रयागराज।

सेवा में,

1-समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश

2-कुल सचिव
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: डिग्री विकास / 2215 / 2025-26 दिनांक : 18/11/2025

विषय: अपर-मुख्य सचिव, महिला कल्याण विभाग उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में सम्बन्धित विभागों तथा यूनिसेफ के साथ सम्पन्न बैठक दिनांक 03-11-2025 का कार्यवृत्त के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या-968/सत्तर-1-2025 दिनांक 13 नवंबर, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो अपर-मुख्य सचिव, महिला कल्याण विभाग उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में सम्बन्धित विभागों तथा यूनिसेफ के साथ सम्पन्न बैठक दिनांक 03-11-2025 का कार्यवृत्त के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में है।

उक्त के सम्बन्ध में बैठक दिनांक 03-11-2025 का कार्यवृत्त के गतिविधि बिन्दु-4 में विभाग से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निम्न कार्यवाही की अपेक्षा की गयी है:-

"प्रमोशन ऑफ बेटर केयर नेटवर्क टू लर्न एण्ड केयर : बाल देखरेख संस्थाओं में आवासित बच्चों को शिक्षा सहित अन्य नवाचारों व रुचिपूर्ण गतिविधियों में सहयोग देने हेतु उच्च शिक्षा विभाग के नेतृत्व में चिन्हित विषय विशेषज्ञों, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर/शिक्षाविद, छात्रों, अन्य विभागों के विशेषज्ञों, आदि का रिसोर्स पूल तैयार कर बाल देखरेख संस्थाओं हेतु मॉड्यूल विकसित करने एवं मॉड्यूल के क्रियान्वयन पर चर्चा।"

अतः उक्त के सम्बन्ध में महिला कल्याण विभाग से समन्वय करते हुए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना समेकित कर इस कार्यालय की ई-मेल आईडी0 dhedegreevikas@gmail.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-यथोक्त

भवदीय

डॉ० (शशि कपूर)

संयुक्त निदेशक (उच्च शिक्षा)
कृते-शिक्षा निदेशक (उ० शि०)
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पृष्ठांक सं०-डिग्री विकास / 2215-17 / उसी तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) अनु सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- (2) अपर सचिव उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से निजी विश्वविद्यालयों को उक्त सूचना प्रसारित करते हुए कृत कार्यवाही की समेकित सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

डॉ० (शशि कपूर)

संयुक्त निदेशक (उच्च शिक्षा)
कृते-शिक्षा निदेशक (उ० शि०)
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

संख्या-1968/सत्तर-1-2025

प्रेषक,

संजय कुमार द्विवेदी,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उच्च शिक्षा,

प्रयागराज, 30प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 13 नवम्बर, 2025

विषय- अपर मुख्य सचिव, महिला कल्याण विभाग 30प्र0 शासन कर अध्यक्षता में सम्बन्धित विभागों तथा यूनिसेफ के साथ सम्पन्न बैठक दिनांक 03-11-2025 का कार्यवृत्त के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त महिला कल्याण अनुभाग-1 के पत्र संख्या-1137913/60-1099/321/2024 दिनांक 10-11-2025(छायाप्रति संलग्न) एवं पत्र संख्या-1138087/60-1099/321/2024 दिनांक 10-11-2025(छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से बैठक दिनांक 03-11-2025 का कार्यवृत्त के गतिविधि बिन्दु 4 में विभाग से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निम्न कार्यवाही की अपेक्षा की गयी है:-

‘प्रमोशन ऑफ बेटर केयर नेटवर्क टू लर्न एण्ड केयर: बाल देखरेख संस्थाओं में आवासित बच्चों को शिक्षा सहित अन्य नवाचारों व रुचिपूर्ण गतिविधियों में सहयोग देने हेतु उच्च शिक्षा विभाग के नेतृत्व में चिन्हित विषय विशेषज्ञों, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर/शिक्षाविद्, छात्रों, अन्य विभागों के विशेषज्ञों, आदि का रिसोर्स पूल तैयार कर बाल देखरेख संस्थाओं हेतु मॉड्यूल विकसित करने एवं मॉड्यूल के क्रियान्वयन पर चर्चा।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त के सम्बन्ध में महिला कल्याण विभाग से समन्वय करते हुए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही करते हुए दिनांक 16-11-2025 को जे0टी0आर0आई0 लखनऊ में स्टेट लेवल प्रोग्राम में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

विकास

17/11/25

श्री दिनेश
17/11/25

भवदीय
Digitally signed by
SANJAY KUMAR DWIVEDI
(संजय कुमार द्विवेदी)
14:56:22
अनु सचिव

14

मा० चेयरपर्सन, मा० उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 09 अक्टूबर, 2025 को संपन्न बैठक में विधे गये निर्देशों के अनुपालन में अपर मुख्य सचिव, महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्पहर विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में संबंधित विभागों तथा यूनिसेफ के साथ संपन्न बैठक दिनांक 03, नवम्बर, 2025 का कार्यवृत्त :-

दिनांक 03 नवम्बर, 2025 को सम्बन्धित विभागों एवं यूनिसेफ के साथ बाल दिवस समारोह हेतु प्रस्तावित Conclave on Justice For Children के संबंध में अपर मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में संपन्न बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. श्री अमूल त्रिपाठी, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
2. श्रीमती संदीप कौर, निदेशक, महिला कल्याण विभाग, उ०प्र०।
3. श्री मयंक त्रिपाठी, रजिस्ट्रार जनरल, मा० उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ - (ऑनलाइन)।
4. सुश्री रुक्मणी वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ०प्र० पुलिस - (ऑनलाइन)।
5. सुश्री दीपा तिवारी, उप निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी०, बेसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० - (ऑनलाइन)।
6. डा० ए०के० अग्रवाल, डी०जी०, एम०सी०एच०, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र०।
7. डा० (मेजर) सी० एस० बाजपेई, संयुक्त निदेशक (मेडिकल केयर), चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र०।
8. डा० शालू गुप्ता, संयुक्त निदेशक, एम०सी०एच०, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र०।
9. सुश्री अनुपमा मौर्या, उप निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उ०प्र०।
10. श्री पुष्पेन्द्र सिंह, उप निदेशक मुख्यालय, महिला कल्याण, उ०प्र०।
11. श्री बी०एस० निरंजन, उप निदेशक मुख्यालय, महिला कल्याण, उ०प्र०।
12. श्री महावीर प्रसाद बघेल, डी०एस०, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र०।
13. श्री संजय कुमार द्विवेदी, अनु सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र०।
14. सुश्री पूनम नोटियाल, शोध प्राध्यापक, एस०सी०ई०आर०टी०, बेसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० - (ऑनलाइन)।
15. श्री सैयद मंसूर उमर कादरी, बाल संरक्षण विशेषज्ञ, यूनिसेफ, उ०प्र०।

16. श्री नीरज मिश्रा, राज्य सलाहकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ०प्र०।
17. श्री प्रीतिश कुमार तिवारी, राज्य सलाहकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ०प्र०।
18. सुश्री पन्तली राय, राज्य सलाहकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ०प्र०।
19. सुश्री सृष्टि बसाक, तकनीकी कन्सलटेन्ट, मा० उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ।
20. सुश्री शिवली जोशी, रिसोर्स पर्सन, मा० उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ।
21. डा० एम०के० सिंह, कौशल विकास मिशन, उ०प्र० लखनऊ।

- बैठक के प्रारंभ में अपर मुख्य सचिव, महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा अवगत कराया गया कि मा० उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ के पत्र संख्या-7419,1/जे०जे०सी०/2025, दिनांक 15 अक्टूबर, 2025 के माध्यम से मा० चैयरपर्सन, मा० उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति की अध्यक्षता में दिनांक 09 अक्टूबर, 2025 को संपन्न बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन हेतु अपर मुख्य सचिव, महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में संबंधित विभागों तथा यूनिसेफ के साथ संयुक्त बैठक करते हुये बाल दिवस सप्ताह के अवसर पर मा० समिति द्वारा प्रस्तावित Conclave on Justice For Children के संबंध में रूपरेखा तैयार कर उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है।
- उपरोक्त क्रम में विभिन्न विभागों से उपस्थित अधिकारियों द्वारा विस्तृत चर्चा के उपरान्त दिनांक 10 से 22 नवम्बर, 2025 के मध्य आयोजित की जाने वाली गतिविधियों पर सहमति प्रदान करते हुये निम्नवत् कार्यक्रम निर्धारित किये गये हैं:-

गतिविधि 1 -

महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा जनपद स्तर पर स्थित राजकीय बाल देखरेख संस्थाओं में आयुसित 6-10 वर्ष, 11-14 वर्ष, 15-18 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों के मध्य विभिन्न प्रतियोगिताओं का निम्नवत् आयोजन किया जायेगा।

दिनांक	गतिविधि
10 नवम्बर, 2025	एकल प्रतियोगिता 1. चित्रकला/पेन्टिंग (6-10 वर्ष),

	2. चित्रकला/पेंटिंग, 3. रंगोली, 4. निबंध लेखन (11-14 व 15-18 वर्ष)
11 नवम्बर, 2025	1. 50 मीटर रेस (एकल प्रतियोगिता, 6-10 वर्ष), 2. लेमन रेस (एकल प्रतियोगिता, 6-10 वर्ष), 3. 100 मीटर रेस (एकल प्रतियोगिता, 11-14 व 15-18 वर्ष), 4. 400 मीटर रिले रेस (समूह - अधिकतम 4 बच्चे, 11-14 व 15-18 वर्ष)
12 नवम्बर, 2025	समूह प्रतियोगिता 1. समूह डांस (6-10, 11-14 व 15-18 वर्ष), 2. नाटक/स्किट, 3. समूह गान (11-14 व 15-18 वर्ष),
13 नवम्बर, 2025	संस्था वार प्रतियोगिता 1. सर्वश्रेष्ठ किचन कम फ्लावर गार्डन 2. सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालय सेटअप
14 नवम्बर, 2025	समस्त बाल देखरेख संस्थाओं में विशेषज्ञों के माध्यम से "स्टोरी टेलिंग सत्र एवं बाल दिवस" का आयोजन।
15 नवम्बर, 2025	प्रत्येक गृह में टैलेंट शो - मार्शल आर्ट, कराटे, ताइक्वाण्डो, जिमनास्टिक, एकल गान, म्यूजिक, कूकरी, मिमीक्री, स्टैंड-अप कॉमेडी, कविता पाठ, आदि।
16 नवम्बर, 2025	समस्त बाल देखरेख संस्थाओं के बच्चों सेतु संस्था से बाहर पिकनिक/ एक्सपोजर/ मूवी विजिट।
17 नवम्बर, 2025	बच्चों द्वारा राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं की तैयारी।
18 नवम्बर, 2025	बच्चों द्वारा राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं की तैयारी व लखनऊ आगमन।
19 नवम्बर, 2025	राज्य स्तर पर लखनऊ में विभिन्न जनपदों से आये बच्चों के मध्य प्रतियोगितायें।

तरंग - अंतराष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन - प्रतियोगिताएँ, प्रदर्शनी, गेम स्टॉल, मेडिकल चेकअप कैम्प, करियर काउंसिलिंग स्टाल, पपेट शो, स्टेज परफार्मेंस, बच्चों व उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को पुरस्कार वितरण, आदि।

(कार्यवाही: महिला एवं बाल विकास विभाग, 30प्र01)

गतिविधि-2 - महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, 30प्र0 पुलिस:-

विशेष किशोर पुलिस इकाई सशक्तिकरण: बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों / मिशन शक्ति केन्द्र के कार्मिकों के साथ किशोर न्याय एवं पॉक्सो अधिनियम के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग इंडिकेटर्स पर चर्चा एवं अभिमुखीकरण।

पर चर्चा एवं अभिमुखीकरण।
(कार्यवाही: महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, ड०प्र० पुलिस।)

गतिविधि-3 - राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उओप्र एवं न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, लखनऊ:

निशुल्क कानूनी सहायता व्यवस्था के सुदृढीकरण व NLSA द्वारा वर्ष 2024 में शुरू की गई नवीन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर सदस्य सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व पैनल अधिवक्ताओं के साथ विचार-विमर्श।

(कार्यवाही: मा० किशोर न्याय समिति, UPSLSA व JTR के निर्णयानुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उ०प्र एवं न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, लखनऊ।)

नतिविधि-4 : उच्च शिक्षा विभाग:

प्रमोशन ऑफ बेटर, केयर नेटवर्क द लर्न एण्ड केयर: बाल देखरेख संस्थाओं में आवासित बच्चों को शिक्षा सहित अन्य नवाचारों व रुचिपूर्ण गतिविधियों में सहयोग देने हेतु उच्च शिक्षा विभाग के नेतृत्व में चिन्हित विषय विशेषज्ञों, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर/शिक्षाविद, छात्रों, अन्य विभागों के विशेषज्ञों, आदि का रिसोर्स पूल तैयार कर बाल देखरेख संस्थाओं हेतु मॉड्यूल विकसित करने एवं मॉड्यूल के क्रियान्वयन पर चर्चा।

(कार्यवाही: उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र०।)

गतिविधि-5 - दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, 30प्र0

17 नवम्बर, 2025	विभिन्न विभागों यथा महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, समाज कल्याण, युवा कल्याण एवं खेलकूद, लखनऊ के0जी0एम0यू0, डा शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, जगद् गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, आदि के साथ दिव्यांग बच्चों के संरक्षण हेतु स्टेट एक्शन प्लान के विकास व क्रियान्वयन पर समन्वय बैठक।
-----------------	---

(कार्यवाही: दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, 30प्र0।)

गतिविधि-6 - राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 30प्र0

18-21 नवम्बर, 2025	शिक्षा विभाग के माध्यम से बाल देखरेख संस्थाओं में तैनात शिक्षकों का पैडागॉजी फ्रेमवर्क पर 4 दिवसीय प्रशिक्षण।
--------------------	---

(कार्यवाही: राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 30प्र0।)

गतिविधि-7 - न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, लखनऊ

22 नवम्बर, 2025	विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं, विशेषज्ञ संस्थानों, बाल कल्याण समिति तथा किशोर न्याय बोर्ड प्रतिनिधियों के साथ किशोर न्याय एवं पॉक्सो कानून के अंतर्गत बच्चों का संरक्षण एवं पुनर्वास विषयक परिचर्चा।
-----------------	---

(कार्यवाही: मा0 किशोर न्याय समिति, UPSLSA व JTNI के निर्णयनुसार न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, लखनऊ।)

- समस्त संबंधित विभाग उपरोक्त गतिविधियों के आयोजन हेतु अपने स्तर से पत्राचार सुनिश्चित करेंगे एवं कॉन्क्लेव में शामिल समस्त विभागों को भी प्रस्तावित गतिविधियों में शामिल/ आमंत्रित करेंगे।
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 30प्र एवं न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, लखनऊ की ओर से बैठक में किसी अधिकारी द्वारा प्रतिभाग नहीं किया गया था अतः उक्त विभागों से संबंधित गतिविधियों पर मा0 किशोर न्याय समिति, UPSLSA व JTNI द्वारा लिये गये निर्णयनुसार कार्यवाही अपेक्षित है।
- बैठक में प्रमोशन ऑफ बेटर केयर नेटवर्क टू लर्न एण्ड केयर विषयक गतिविधि पर विश्वविद्यालयों के साथ की गई गतिविधियों के पूर्व अनुभवों के दृष्टिगत सचिव उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बाल देखरेख संस्थाओं में आवासित बच्चों को शिक्षा सहित अन्य

नवाचारों व रुचिपूर्ण गतिविधियों में सहयोग देने हेतु निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग के नेतृत्व में चिन्हित विषय विशेषज्ञों, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर/शिक्षाविद्, छात्रों, अन्य विभागों के विशेषज्ञों, आदि का रिसोर्स पूल तैयार कर क्रियान्वयन पर चर्चा बैठक का आयोजन करना प्रस्तावित किया गया, जिस पर सभी विभागों द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

- बाल संरक्षण विशेषज्ञ, यूनिसेफ, उओप्रओ द्वारा प्रस्तावित गतिविधियों में संबंधित समस्त विभागों को तकनीकी सहयोग व आंशिक वित्तीय सहयोग प्रदान किये जाने की सहमति प्रदान की गई, इस हेतु संबंधित विभाग यूनिसेफ से संपर्क कर सकते हैं।
उपरोक्त चर्चा के उपरान्त बैठक सधन्यवाद संपन्न हुई।

(सुधदिगुर्ग)ly signed by
SUDHA VERMA
विशेष सूचिका
Date: 10-11-2025
16:49:07

उत्तर प्रदेश शासन

महिला कल्याण अनुभाग-1

संख्या-1137913/60-1099/321/2025

लखनऊ: दिनांक 10 नवम्बर, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, उच्च शिक्षा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, बेसिक शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उओप्रओ शासन।
2. सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उओप्रओ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उओप्रओ।
4. निदेशक, महिला कल्याण विभाग, उओप्रओ।
5. रजिस्ट्रार जनरल, माओ उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ।
6. निदेशक, एसओसीओईओआरओटीओ/यूओपीओएसओडीओएमओ, उओप्रओ लखनऊ।
7. श्री सैयद मंसूर उमर कादरी, बाल संरक्षण विशेषज्ञ, यूनिसेफ, उओप्रओ।
8. गार्ड फाइल।

Digitally signed by
AVNEESH KUMAR SINGH
Date: 10-11-2025
17:04:44

(अवनीश कुमार सिंह)

अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
महिला कल्याण अनुभाग-1
संख्या-1138007/60-1099/321/2024
लखनऊ: दिनांक-10 नवम्बर, 2025

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/
सचिव, उच्च शिक्षा विभाग,
उप्र शासन।

सं. 1138007/60-1099/321/2025
11/11/25

कृपया श्री मयंक त्रिपाठी-प्रथम, रजिस्ट्रार जनरल, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-7912/JJC/2025: लखनऊ, दिनांक 03.11.2025 (छयाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा अपने पत्र दिनांक 01.11.2025 का संदर्भ देते हुए मा० उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति द्वारा जे०टी०आर०आई०, लखनऊ में दिनांक 16.11.2025 को आयोजित स्टेट लेवल प्रोग्राम में कतिपय विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर, जिन जनपदों में बाल देखरेख संस्थायें हैं, उन जनपदों के मेडिकल कॉलेज/ विश्वविद्यालय के मनोचिकित्सा विभाग के प्रमुख एवं उच्च शिक्षा विभाग, उप्र शासन द्वारा प्रतिभाग करने की अपेक्षा की गयी है।

अतः अनुरोध है कि कृपया मा० उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति द्वारा जे०टी०आर०आई०, लखनऊ में दिनांक 16.11.2025 को आयोजित स्टेट लेवल प्रोग्राम में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।
संतुष्ट-यथोक्त।

सि-18
11/11/25
(सुधीपा अग्रवाल)
मुख्य सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

(सुधीपा अग्रवाल) signed by
SUDHA VERMA
विशेष सचिव
Date: 10-11-2025
17:43:56

1386/SCA/1/25
VS

12.11.2025